दक्षिण मध्य रेलवे

सेफ्टी.387/फ्लाई लीफ/11/2025.

फ्लाई लीफ सं. 11 / 2025

ध्यान दें.............सर्व संबंधित

पुश ट्रॉली / लॉरी कार्यचालन

ए. ट्रॉली, लॉरी और मोटर ट्रॉली.

1. वाहन जिसे चार व्यक्तियों द्वारा लाइन से शारीरिक रूप से उठाया जा सकता है, उसे ट्रॉली माना जाएगा और उसी प्रकार के कोई भी समान किन्तु भारी वाहन (जिसमें डिप लॉरी भी शामिल है) को लॉरी माना जाएगा.
2. कोई भी ट्रॉली जो मोटर के माध्यम से स्व-चालित (सेल्फ प्रोपेल्ड) होती है, मोटर ट्रॉली कहलाती है.
3. ट्रॉली का उपयोग, आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, रेलपथ या अन्य भारी सामग्री के परिवहन के लिए नहीं किया जाएगा, और जब ट्रॉली में इस प्रकार सामान भरा हो, तो उसे लॉरी समझा जाएगा.
4. पुश ट्रॉलियों और लॉरियों को हमेशा धक्का देकर चलाया जाएगा, खींचा नहीं जाएगा.
5. साइकिल ट्रालियों या ट्रालियों को धकेलने के बजाय पैडल से चलाया जाता है और मोपेड ट्रालियों को मोटर से या पैडल से चलाया जा सकता है. आवश्यकता पड़ने पर इन्हें धकेला जा सकता है,लेकिन खींचा नहीं जा सकता है.
6. साइकिल ट्रॉलियों और मोपेड ट्रॉलियों को सभी प्रकार से पुश ट्रॉलियां माना जाएगा.
7. पुश ट्रॉलियों/मोटर ट्रॉलियों पर कम से कम चार ट्रॉली मैन तैनात रहेगें. अधिकतम संख्या में मैन ले जाए जा सकते हैं. पुश ट्रॉली – ब.ला. पर दस.
8. लॉरियों पर फ्लैगमैन को छोड़कर कम से कम छह लॉरी मैन तैनात रहेगें.
9. साइकिल ट्रॉली या मोपेड ट्रॉली पर पैडल मारने या चलाने वाले व्यक्तियों को मिलाकर तीन व्यक्ति होंगे.
10. प्रत्येक पुश ट्रॉली, साइकिल ट्रॉली, मोपेड ट्रॉली या लॉरी पर दो लाल झंडियों के बजाय पाँच लाल झंडे लगाए जाएँगे. प्रत्येक पुश ट्रॉली, साइकिल ट्रॉली, मोपेड ट्रॉली, लॉरी या मोटर ट्रॉली के लिए दस डेटोनेटर दिए जाएँगे.
11. ट्रॉलियों/मोटर ट्रॉलियों/लॉरियों की संख्या - प्रत्येक ट्रॉलियों/मोटर ट्रॉलियों और लॉरी पर उसकी संख्या, कोड, विभाग के आद्याक्षर, प्रभारी अधिकारी का पदनाम और मुख्यालय अंकित किया जाएगा.
12. ट्रॉली या साइकिल ट्रॉली की गति 15 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी.

बी. लाइन पर होने पर लॉरी या ट्रॉली का प्रभारी बनने के लिए योग्य व्यक्ति

1. कर्मचारियों को पुश ट्रॉलियों और लॉरियों का उपयोग करने की अनुमति:
   प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सक्षम प्रमाणित किए जाने की शर्त पर, इंजीनियरी, कर्षण वितरण और सिगनल व दूरसंचार विभागों के सभी अधिकारी और निरीक्षक तथा परिचालन और वाणिज्य विभागों के ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी, जिनकी आवश्यकता हो, को पुश ट्रॉलियों और लॉरियों के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है. इंजीनियरी विभाग के सेक्शन मेट और हेड ट्रॉली मैन तथा सिगनल व दूरसंचार विभाग के सिगनल और ब्लॉक मेंटेनर, जिन्हें प्राधिकृत किया जा सकता है, को पुश ट्रॉलियों और लॉरियों के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है.
2. मंडल के अधिकारियों के संबंध में, मंडल रेल प्रबंधक योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी हैं. मंडल इंजीनियर, मंडल विद्युत इंजीनियर/कर्षण वितरण, मंडल सिगनल व दूरसंचार इंजीनियर और डीओएम अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी हैं.
3. किसी को भी योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, ट्रॉलियों और लॉरियों के संचालन से संबंधित नियमों के अनुसार लिखित परीक्षा ली जाएगी और केवल उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों को ही प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा योग्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा. जारी किया गया योग्यता प्रमाणपत्र एक वर्ष के लिए वैध होगा.
4. जिन कर्मचारियों को लॉरी/ट्रॉली चलाने हेतु योग्यता प्रमाणपत्र दिया जाता है, वे साक्षर होने चाहिए और उन्हें हिंदी या अन्य भाषाओं का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए. किसी भी निरक्षर कर्मचारी को योग्यता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा.
5. प्रत्येक वर्ष दिसंबर के अंत से पहले, प्रत्येक ट्रॉली या लॉरी धारक को निम्नलिखित प्रपत्र में प्राधिकृत अधिकारी को घोषणा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा:

मैं, (नाम) .... (पदनाम) .... के पद पर (स्टेशन) .... पर कार्यरत हूँ. इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उन सेक्शनों से पूरी तरह परिचित हूँ जहाँ मुझे अपनी ट्रॉली/लॉरी का उपयोग करना है और ट्रॉलियों/लॉरियों के संचालन से संबंधित नियमों और उनमें किए गए नवीनतम परिवर्तनों से भी परिचित हूँ और इन नियमों का पूरी तरह से पालन करने का वचन

देता/देती हूँ. इन नियमों का पालन करने में किसी भी प्रकार की विफलता की स्थिति में मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी.
हस्ताक्षर..............दिनांक.................

6. इस घोषणा की मडंल मुख्यालय में सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी और यदि प्रमाण पत्र धारक इसे समय पर प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा घोषणा प्रस्तुत किए जाने तक प्रमाण पत्र का उपयोग करने का उसका अधिकार समाप्त माना जाएगा और उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी माना जाएगा.

सी. सुरक्षित कार्य की जिम्मेदारी –

1. ट्रॉली/मोटर ट्रॉली/लॉरी का प्रभारी अधिकारी उसके सुरक्षित संचालन के लिए हर समय ज़िम्मेदार होता है. जब ट्रॉली में एक से अधिक सक्षमता प्रमाणपत्र धारक व्यक्ति यात्रा करते हैं, तो ट्रॉली का प्रभारी अधिकारी उसके सुरक्षित संचालन के लिए ज़िम्मेदार होता है.
2. जब किसी ट्रॉली के साथ ट्रॉली के प्रभारी होने के लिए योग्य एक से अधिक रेलवे पदाधिकारी हों, तो वह रेल पदाधिकारी, जो वास्तव में ब्रेक का संचालन कर रहा है, ट्रॉली के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा. ट्रॉली द्वारा ले जाए जा रहे वरिष्ठ पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे ट्रॉली के संचालन में गहन रुचि लें और नियमों के किसी भी उल्लंघन की ओर ध्यान दिलाएँ, जो उनके ध्यान में आएं और पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता पर भी ध्यान दें.
3. अधिकारियों और कर्मचारियों को यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि उन्हें दुर्घटनाओं से बचाव के लिए हर संभव सावधानी और सुरक्षा बरतनी होगी. सुरंग में प्रवेश करते समय, किसी लम्बे पुल या मोड़ को पार करते समय प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कोई गाड़ी विपरीत दिशा से न आए. किसी समपार के पास पहुँचते समय, प्रभारी अधिकारी को सड़क यातायात पर ध्यान देना चाहिए और समपार पर अपने वाहन का सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करना चाहिए.
4. गैंगमेट/गैंगमैन, कीमैन और गेटमैन, जब ट्रॉली को लाइन पर देखें तो, आने वाली किसी भी गाड़ी को चेतावनी देने के लिए हथ रोक सिगनल प्रदर्शित करेंगे और तब तक हथ रोक सिगनल प्रदर्शित करते रहेंगे, जब तक ट्रॉली 800 मीटर दूर न निकल जाए या जब तक उसे लाइन से हटा न दिया जाए.

डी. कुशल ब्रेक–

किसी भी लॉरी, ट्रॉली या मोटर ट्रॉली को तब तक लाइन पर नहीं रखा जाएगा, जब तक कि उसमें कुशल ब्रेक न लगे हों. प्रत्येक यात्रा शुरू करने से पहले ब्रेक का परीक्षण किया जाना चाहिए. यह वांछनीय है कि घाट सेक्शन पर चलने वाली ट्रॉलियों और लॉरियों में साधारण हैंड/फुट ब्रेक के अलावा स्क्रू डाउन ब्रेक भी लगे हों. ब्रेकिंग की पर्याप्तता सुनिश्चित करना प्रभारी पदाधिकारी की ज़िम्मेदारी होगी.

ई. ट्रॉली/मोटर ट्रॉली/लॉरी के लिए सिगनल –

1. *इकहरी लाइन पर और जब इकहरी लाइन चालू हो, तो दिन में सभी ट्रॉलियों और लॉरियों के लिए एक लाल झंडा दिखाया जाएगा ताकि वह दोनों दिशाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई दे और रात में दोनों दिशाओं में लाल बत्ती दिखाई जाएगी. दोहरी लाइन पर, दिन में, जिस दिशा से गाड़ियां आती हैं, उस दिशा में लाल झंडा स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा और रात में, जिस दिशा से गाड़ियां आती हैं, उस दिशा में लाल बत्ती और दूसरी दिशा में सफेद बत्ती दिखाई जाएगी. स्टेशन की सीमा के अंदर, दिन में, एक लाल झंडा दिखाया जाएगा ताकि वह दोनों दिशाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई दे और रात में दोनों दिशाओं में लाल बत्ती दिखाई जाएगी.*

   नोट- रात्रि सिगनल दिन के समय खराब दृश्यता की स्थिति में दिखाए जाएंगें.

2. *जिन सक्शनों में सुरंगें हैं, वहाँ लाल झंडे के अलावा, एकल लाइन या दोहरी लाइन के लिए निर्धारित रात्रि सिगनल, जैसा भी मामला हो, दिन के समय भी प्रदर्शित किए जाएँगें. इसके अलावा, जिन ट्रॉलियों या लॉरियों में हेड लाइट नहीं लगी है, उन्हें रोशनी के लिए पेट्रोमैक्स लैंप या उसके समकक्ष लैंप और पांच सेल वाली इलेक्ट्रिक टॉर्च रखनी होगी.*

एफ. ट्रॉलियों का कार्य–

I. ब्लॉक सुरक्षा के अंतर्गत काम करना–

(ए) ट्रॉली को ब्लॉक सुरक्षा के अंतर्गत चलाया जा सकता है, जहां भी गाड़ी सेवा में हस्तक्षेप किए बिना ऐसा करना संभव हो.

(बी) रात्रि में ट्रॉलियों को ब्लॉक सुरक्षा के अंतर्गत चलाया जाना चाहिए.

(सी) दिन के समय कोहरे के मौसम में तथा धूल भरी आंधी के दौरान, जब दृश्यता कम हो, तो ट्रॉली को ब्लॉक सुरक्षा के अंतर्गत चलाया जाना चाहिए.

(डी) ब्लॉक सुरक्षा के अंतर्गत काम करते समय ट्रॉलियों को गाड़ियों की तरह ही चलाया जाएगा.

II. ब्लॉक सुरक्षा के बिना काम करना–

1. दिन के दौरान नीचे पैरा 8 में उल्लिखित सेक्शनों के अलावा अन्य सेक्शनों पर, साफ मौसम में, ट्रॉलियों को प्रभारी पदाधिकारी की पूरी जिम्मेदारी पर चलाया जा सकता है. हालांकि, वह स्टेशन मास्टर को उस स्टेशन के बारे में सूचित करेगा जहां ट्रॉली को लाइन पर रखा जाएगा, वह ब्लॉक सेक्शन, जिसमें वह प्रवेश करने जा रहा है और वह संभावित समय जब वह सेक्शन खाली कर देगा. वह स्टेशन मास्टर से उन गाड़ियों का विवरण भी पता लगाएगा, जो उसे सेक्शन पर उसके सामने से आएंगीं. प्रभारी अधिकारी नीचे पैरा 2 से 7 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ट्रॉली की सुरक्षा करेगा, जब आगे और/या पीछे का दृश्य उस दिशा में कम से कम 800 मीटर की दूरी तक स्पष्ट न हो, जहाँ से गाड़ियां आएंगी.
2. इकहरी लाइन पर, एक फ्लैगमैन ट्रॉली के पीछे चलेगा तथा दूसरा फ्लैगमैन ट्रॉली से कम से कम 800 मीटर की दूरी पर आगे चलेगा तथा स्पष्ट रूप से हथ रोक सिगनल दिखाएगा. दोहरी लाइन पर, फ्लैगमैन ट्रॉली के पीछे या आगे 800 मीटर की दूरी पर उस दिशा में चलेगा जहाँ से गाड़ियां आ रही हैं और स्पष्ट रूप से हथ रोक सिगनल दिखाएगा.
3. ऊपर उल्लिखित 800 मीटर की दूरी न्यूनतम है, जिसे तीव्र ढलानों और तीखे मोड़ों पर या जहां भी दृश्य प्रतिबंधित हो, उस सीमा तक बढ़ाया जाएगा, जो गाड़ी के आने से पहले ट्रॉली को हटाने के लिए पर्याप्त होगी.
4. जब लाइन की प्रकृति ऐसी हो कि ट्रॉली के प्रभारी व्यक्ति को आगे या पीछे का फ्लैगमैन दिखाई न दे, तो ट्रॉली के प्रभारी व्यक्ति को सेक्शन में प्रवेश करने से पहले अपने साथ पर्याप्त संख्या में गैंगमैन को हथ सिगनलों के साथ ले जाने की व्यवस्था करनी होगी, ताकि सबसे बाहरी फ्लैगमैन या ऑबसरवेशन पोस्ट पर तैनात फ्लैगमैन के सिगनलों को दोहराने के लिए आवश्यक संख्या में अतिरिक्त मध्यवर्ती फ्लैगमैन उपलब्ध कराए जा सकें.
5. किसी गाड़ी को आते हुए देखकर, उसके सबसे निकट का फ्लैगमैन तुरंत लाइन पर 10 मीटर की दूरी पर तीन डेटोनेटर लगाएगा और फिर ट्रॉली के प्रभारी पदाधिकारी को आने वाली गाड़ी के बारे में चेतावनी देने के लिए ज़ोर से लाल झंडा लहराएगा. प्रभारी पदाधिकारी ट्रॉली को लाइन से हटाने के बाद, फ्लैगमैन को हरी झंडी दिखाएगा, जो डेटोनेटर हटा देगा और हथ रोक सिगनल को हटा देगा.
6. जहां मोड़ों या कटावों के कारण या अन्य कारणों से लाइन का दृश्य बाधित हो, वहां ऐसे स्थानों पर निरीक्षण चौकियां स्थापित की जाएंगी, ताकि फ्लैगमैन के उपयोग के लिए दोनों दिशाओं में अच्छा दृश्य प्राप्त हो सके, जिससे ट्रॉली के प्रभारी व्यक्ति को हथ सिगनल दिए जा सकें.
7. यदि ऑबसरवेशन चौकियों से कोई सिगनल नहीं मिल रहे हों या जब स्थितियाँ ऐसी हों कि ऑबसरवेशन चौकियों पर तैनात फ्लैगमैन को ट्रॉली का प्रभारी पदाधिकारी देख न सके, तो ट्रॉली को फ्लैगमैन से फ्लैगमैन तक सिगनल भेजने के लिए उपयुक्त स्थानों पर अतिरिक्त मध्यवर्ती फ्लैगमैन को तैनात करने की व्यवस्था करनी होगी.
8. निम्नलिखित ब्लॉक सेक्शनों पर, तीखे मोड़, कटाव, सुरंग आदि के होने के कारण ब्लॉक सुरक्षा के बिना ट्रॉलियों पर काम करते समय नीचे पैरा 9 से 17 में उल्लिखित विशेष सावधानियां बरती जाएंगी:-

क्र.सं.	मंडल	ब्लॉक सेक्शन
I.	सिकंदराबाद	(1) विकाराबाद - रुक्मापुर, (2) सिरपुरकागज़नगर - माकुडी, (3) घाटनंदूर – पर्ली वैजनाथ, (4) हल्लिखेड (के) – कमलापुर.
II.	हैदराबाद	इंदलवई – उप्पलावई
III.	नांदेड	अंबारी - कोसाई
IV.	गुंतकल	(1) मामंडुरु – बालापल्ली, (2) बालापल्ली - सेत्तीगुंटा, (3) द्रोणाचलम - पण्यम.
V.	गुंटूर	गाजुलापल्ली – दिगुवमेट्टा.
VI.	विजयवाडा	(1) रापुर - चेरिलोपल्ली, (2) चेरिलोपल्ली - मंगमपेट.

9. प्रभारी पदाधिकारी ट्रॉली/लॉरी नोटिस (टी/1518) के सूचना भाग को दो प्रतियों में भरकर उस स्टेशन मास्टर को भेजेगा, जहाँ वह ट्रॉली को लाइन पर रखना चाहता है. स्टेशन मास्टर ब्लॉक सेक्शन के दूसरे छोर पर स्थित स्टेशन को टेलीफोन पर निम्नलिखित सूचना देगा:-

ट्रॉली संख्या ....ट्रॉली नोटिस संख्या .... के साथ .... बजे सेक्शन में प्रवेश करेगी. आपकी ओर से आने वाली गाड़ियों को सतर्कता आदेश जारी करें.

10. दूसरे छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर को निम्नलिखित सूचना देनी होगी और सूचित करना होगा:-
मैं समझता/समझती हूँ कि ट्रॉली संख्या .... बजे सेक्शन में प्रवेश करेगी और ट्रॉली को लाइन से हटाए जाने तक सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा. पीएन......................
11. स्टेशन मास्टर, नियंत्रण कक्ष से सेक्शन में कार्य करते समय ट्रॉली के सामने आने वाली संभावित गाड़ियों का विवरण प्राप्त करेगा और ट्रॉली नोटिस (टी/1518) के भाग 'बी' में इन विवरणों को प्रस्तुत करेगा. गैर-नियंत्रित सेक्शन पर, संबंधित विवरण उस स्टेशन से प्राप्त किया जाएगा,जहाँ से गाड़ियां निकलती हैं.
12. यदि संचार में पूर्ण रुकावट आती है**,** तो स्टेशन मास्टर प्रभारी पदाधिकारी को इस तथ्य की जानकारी देंगे और इस आशय का फार्म टी/1518 पर पृष्ठांकन करेगें. नियमानुसार ट्रॉली की सुरक्षा करना प्रभारी पदाधिकारी की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी होगी. जब संचार बहाल हो जाता है, तो ट्रॉली को हटाने की रिपोर्ट स्टेशन मास्टर को प्राप्त होने तक, ऊपर बताई गई प्रक्रिया के अनुसार सतर्कता आदेश जारी किए जाएँगें.
13. यदि ट्रॉली को स्टेशन की सीमा के बाहर लाइन पर रखना आवश्यक हो, तो प्रभारी अधिकारी भाग 'ए' में विवरण भरेगा और फार्म टी/1518 को संदेशवाहक के माध्यम से स्टेशन मास्टर को भेजेगा तथा आने वाली संभावित गाड़ियों का विवरण प्राप्त करेगा. जब तक यह सूचना प्राप्त नहीं हो जाती, प्रभारी पदाधिकारी ट्रॉली को लाइन पर नहीं रखेंगे.
14. स्टेशन पर ट्रॉली के पहुंचने पर प्रभारी अधिकारी फार्म भाग **'सी' (**टी/**1518)** की निष्कासन रिपोर्ट भरकर स्टेशन मास्टर को भेजेगा**,** जो कार्यालय प्रति में इसकी प्राप्ति की सूचना देगा तथा समय भी दर्ज करेगा. स्टेशन मास्टर ब्लॉक सेक्शन के दूसरे छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर को सतर्कता आदेश जारी करना बंद करने के लिए तुरंत सूचित करेगा. ट्रॉली से संबंधित सभी प्रविष्टियां टीएसआर में लाल स्याही से की जाएंगी. यदि ट्रॉली को बीच सेक्शन में लाइन से हटा दिया जाता है और यदि इसे लाइन पर बदलने का इरादा नहीं है, तो प्रभारी अधिकारी निष्कासन फॉर्म भरेगा और इसे निकटतम ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर को भेजेगा. स्टेशन मास्टर उस समय को दर्ज करेगा जिस समय निष्कासन रिपोर्ट प्राप्त होगी, प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा और संदेशवाहक के माध्यम से ब्लॉक फ़ॉइल वापस कर देगा. इसके बाद वह तुरंत ब्लॉक सेक्शन के दूसरे छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और उसके बाद सतर्कता आदेश जारी करना बंद कर देगा.
15. जैसे ही ट्रॉली को लाइन पर रखने की अनुमति दी जाती है, स्टेशन मास्टर ब्लॉक उपकरणों के प्लंजर पर 'ट्रॉली ऑन लाइन' कैप लगाएगा, जो सतर्कता आदेश जारी करने के लिए अनुस्मारक के रूप में कार्य करेगा.
16. जिस अवधि के दौरान ट्रॉली सेक्शन पर काम कर रही होगी, ब्लॉक सेक्शन के दोनों छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर सेक्शन में प्रवेश करने वाली सभी गाड़ियों के लिए सतर्कता आदेश जारी करेंगे.
17. ट्रॉली का प्रभारी पदाधिकारी ट्रॉली के सुरक्षित संचालन के लिए ज़िम्मेदार है. उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्रॉली के संचालन के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा. स्टेशन मास्टर द्वारा सतर्कता आदेश जारी करने से ट्रॉली के प्रभारी पदाधिकारी को ट्रॉली की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी से मुक्ति नहीं मिलती.

जी. एक साथ यात्रा करने वाली ट्रॉलियाँ–

जब दो या अधिक ट्रॉलियां एक ही दिशा में एक ही लाइन में एक साथ चल रही हों, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि उनके बीच कम से कम 75 मीटर की दूरी पर एक ओएचई मस्तूल रखा जाए, ताकि पीछे वाली ट्रॉली को आगे वाली ट्रॉली से टकराने से बचाया जा सके, यदि किसी कारणवश आगे वाली ट्रॉली को अचानक रोकना पड़े.

***

संरक्षा संगठन **दक्षिण मध्य रेलवे**

अस्वीकरण:
इस फ्लाई लीफ में इस विषय पर उल्लिखित उपर्युक्त सामग्री विभिन्न मैनुअल**,** रेलवे बोर्ड के पत्रों और अन्य पत्रों का अंश है. इसे मूल पत्र और समय-समय पर जारी किए गए अन्य मैनुअल/पत्रों के साथ पढ़ा जाना चाहिए तथा यह किसी भी तरह से उनका स्थान नहीं ले सकता है.